न्यायालय सहायक कलक्टर बाप केम्प कानसिंह की सिड
पीठाशीन अधिकारी श्री राजेन्द्र कुमार डांगा (आर.ए.एस.)

वादी

1. नवलसिंह पुत्र गोरखदानसिंह
   जाति राजपुत निवासी कानसिंह की सिड
   तहसील बाप जिला जोधपुर (राज.)

बनाम

प्रतिवादीगण

1. रूपसिंह पुत्र प्रभुसिंह
2. नरपसिंह पुत्र प्रभुसिंह
3. करणसिंह पुत्र प्रभुसिंह
4. भूरकंवर पत्नि प्रभुसिंह सभी जाति राजपुत निवासीगण कानसिंह की सिड तहसील बाप जिला जोधपुर (राज.)

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम
धारा 136 राजस्व भू–राजस्व अधिनियम

राजस्व वाद संख्या:– 201/2016

उपस्थित अधिवक्ता:–

1. वादी की और से श्री राजेन्द्रसिंह सोंलकी
2. प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की और से श्री मदनगोपाल शर्मा
3. प्रतिवादी संख्या 5 स्वंय उपस्थित

दिनांक:– 25/05/17

निर्णय

पत्रावली राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार केम्प कानसिंह की सिड में पेश हुई। वादी के वाद का संक्षिप्त में सार निम्नानुसार है। कि खसरा नंबर 556 रकबा 119.08 बीघा, खसरा नंबर 787 रकबा 292.08 बीघा कुल रकबा 411.16 बीघा भूमि सरहद मौजा कानसिंह की सिड पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड में स्थित है। उक्त भूमि पूर्व में वादी नवलसिंह पुत्र गोरखदानसिंह 1/2 हिस्सा एवं प्रभुसिंह पुत्र गोरखदानसिंह 1/2 हिस्सा अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज थी। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के पिता एवं 4 के पति प्रभुसिंह का उक्त विवाद ग्रस्त भूमि में 1/2 हिस्सा था। प्रभुसिंह ने खसरा नंबर 787 रकबा 292.08 बीघा भूमि में अपने 1/2 हिस्से में से 25 बीघा भूमि फुलाराम व 25 बीघा भूमि रणवीर को बेचान कर दी ओर उक्त बेचान के आधार पर नामान्तरकरण संख्या 1246 मौजा कानसिंह की सिड खरीदारान के नाम से भरा जाकर स्वीकृत हुआ और राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में खरीदारान के खाते अलग से कायम कर दिये गये और उक्त विक्रय के बाद खसरा नबंर 787 का रकबा 242.08 बीघा दर्ज कर दिया गया और खसरा नंबर 787 रकबा 242.08 बीघा भूमि में वादी को 146.04 बीघा भूमि एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता एवं 4 के पति प्रभुसिंह को 96.04 बीघा भूमि बंट में आती थी लेकिन पटवारी हल्का ने बिना किसी आधार के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में हिस्सा कसी अपनी नमर्जी से दर्ज कर दी है। जो सरासर गलत एवं अविधिपूर्ण है। इसलिये वादी उक्त वादग्रस्त खसरा नंबर 787 रकबा 242.08 बीघा भूमि में वादी को 146.04 बीघा भूमि का एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को 96.04 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने हेतु वाद पेश है। इसलिये वादी उक्त वादग्रस्त भूमि के राजस्व रेकर्ड को दुरूस्त करवाकर खसरा नंबर 556 रकबा 119.08 बीघा भूमि में 1/2 हिस्सा अपना एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 एवं खसरा नंबर 787 रकबा 242.08 बीघा भूमि में वादी को 146.04 बीघा का एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को 96.04 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किये जाने के देश फरमावे।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया प्रतिवादी को जरिये समन तलब किया गया। न बाद तामिल प्राप्त होने पर भी प्रतिवादी संख्या 1 ता 4 की और से वकील श्री गोपाल शर्मा ने वकालतनामा व इकबालिया जबाब पेश किया। प्रतिवादी संख्या 5

तहसीलदार बाप ने उप. होकर जबाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। वकील वादी द्वारा वाद में साक्ष्य पेश नहीं किये जाने पर साक्ष्य बंद की गई एवं पत्रावली बहस में रखी गई।

पत्रावली में अभय पक्षकारान की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया गया। बाद बहस मनन व अवलोकन पाया गया कि ग्राम कानसिंह की सिड के खसरा नंबर 787 रकबा 292.08 बीघा, खसरा नंबर 556 रकबा 119.08 बीघा भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा एवंम प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता प्रभुसिंह का 1/2 हिस्सा दर्ज था। प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3 के पिता एवं प्रतिवादी संख्या 4 के पति प्रभुसिंह ने अपने हिस्से में से खसरा नंबर 787 में से 50 बीघा भूमि का बेचान कर दी थी। उक्त बेचान के आधार पर नामान्तकरकरण संख्या 1246 मौजा कानसिंह की सिड भरा जाकर स्वीकृत किया। उक्त नामान्तकरकरण में वादी एवंम प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता व प्रतिवादी संख्या 4 के पति प्रभुसिंह का हिस्सा गलत दर्ज कर दिया गया। जो नामान्तरकरण संख्या 1246 के अवलोकन से स्पष्ट रूप से प्रमाणित होता है। वादी ने उक्त भूमि में से अपना हिस्सा बेचान नहीं किया है। उपरोक्त साक्ष्य सबूतो के आधार पर यह स्पष्ट रूप से साबित होता है। कि वादग्रस्त खसरान् भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता व 4 के पति का 1/2 – 1/2 हिस्सा दर्ज रेकर्ड था। प्रतिवादी संख्या 1 ता 3 के पिता व 4 के पति ने उक्त वाद ग्रस्त भूमि के खसरा नंबर 787 के कुल रकबे में से अपने हिस्से की भूमि में से 50 बीघा भूमि का बेचान कर दिया। वर्तमान जमाबंदी रेकर्ड में खसरा नंबर 787 के रकबे में वादी का 146.04 बीघा एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का 96.04 बीघा हिस्सा एवं खसरा नंबर 556 रकबा 119.08 बीघा भूमि में वादी का 1/2 हिस्सा व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का 1/2 हिस्सा दर्ज होना चाहिये था जो कि दर्ज नहीं है। वकील वादी ने अपनी बहस में वाद पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुवे कथन किया कि वादग्रस्त भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण का हक हिस्सा माफिक इस्तदुआ दुरूस्त किया जाकर वाद डिक्री फरमाया जावे। वकील प्रतिवादीगण ने माफिक इस्तदुआ वाद स्वीकार किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की। प्रतिवादी संख्या 5 पैरोकार सरकार ने वाद पत्र में वर्णित इस्तदुआ अनुसार वाद स्वीकार किये जाने में अपनी सहमति जाहिर की है। वादी का वाद दस्तावेजात से प्रमाणित होता है। इसलिये वाद वादीगण स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है।

आदेश

वाद वादीगण स्वीकार किया जाता है कि ग्राम कानसिंह की सिड पटवार क्षेत्र कानसिंह की सिड तहसील बाप के खसरा नंबर 556 रकबा 119.08 बीघा, खसरा नंबर 787 रकबा 242.08 बीघा भूमि के राजस्व रेकर्ड में गलत रूप दर्ज वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्सा दुरूस्त किया जाकर खसरा नंबर 556 रकबा 119.08 बीघा भूमि में 1/2 हिस्सा वादी का एवं 1/2 हिस्सा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 का संयुक्त रूप से एवं खसरा नंबर 787 रकबा 242 .08 बीघा भूमि में वादी को 146.04 बीघा भूमि का एवं प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 4 को 96.04 बीघा भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। तहसीलदार बाप को आदेशित किया जाता है। कि माफिक आदेश की पालना कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करे। डिकी पर्चा अलग से जारी हो। निर्णय की पालना हो। पत्रावली फेसल शुमार होकर नंबर से कम हो । दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 25/05/2017 को राजस्व लोक अदालत न्याय आपके द्वार 2017 के तहत आयोजित केम्प अटल सेवा केन्द्र कानसिंह की सिड में मजमे आम सुनाया गया।

सहायक कलक्टर-बाप
केम्प बाप (जोधपुर)
राजस्व लोक अदालत-